500 वर्ग मीटर से बड़े औद्योगिक भूखंडों का आवंटन आसान, छोटे निवेशकों को भी मौका

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव किया है।

अब 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों के आवंटन के लिए न्यूनतम 60 के बजाय 50 अंक हासिल करने वाले आवेदक भी पात्र होंगे। इससे बड़े औद्योगिक भूखंडों के लिए आवेदन करने वाले निवेशकों, नए उद्यमियों और अपेक्षाकृत कम पूंजी वाले निवेशकों को राहत मिलेगी।

मूल्यांकन के मानक

भूखंड आवंटन में प्रस्तावित निवेश, रोजगार सृजन, इकाई शुरू करने की समयसीमा और संबंधित उद्योग में आवेदक के अनुभव को महत्व दिया जाता है। इसके अलावा अतिरिक्त जमीन या मौजूदा इकाई के विस्तार की जरूरत, शत-प्रतिशत निर्यात आधारित इकाई, उद्यमी का टर्नओवर व नेटवर्थ भी मूल्यांकन का आधार हैं। महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग उद्यमियों की हिस्सेदारी को भी मानकों में शामिल किया गया है।

पहले 60 से कम अंक पाने वाले आवेदक पात्रता से बाहर हो जाते थे। अब 50 अंक हासिल करने वाले आवेदक भी मूल्यांकन के अगले चरण में शामिल हो सकेंगे। मूल्यांकन के अन्य मानकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूपीसीडा बोर्ड के अध्यक्ष एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार के मुताबिक, नई व्यवस्था से अधिक आवेदन पात्र होंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और खाली औद्योगिक भूखंडों का आवंटन आसान होगा।